# न्यायालय— अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश (समक्ष— प्रतिष्ठा अवस्थी)

1

<u>व्यवहार वाद क.68 ए/2015</u> संस्थापित दिनांक 24/03/2015

> उदयसिंह पुत्र बहादुर सिंह आयु 62 वर्ष जाति तोमर ठाकुर निवासी ग्राम लालन का पुरा परगना, गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

> > <u>..... वादी</u>

#### बनाम

- 1. राजेश सिंह आयु 38 वर्ष
- महेश सिंह आयु 35 वर्ष पुत्रगण श्रीकृष्ण सिंह जाति तोमर ठाकुर निवासीगण ग्राम लालन का पुरा परगना, गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

  गोहद जिला भिण्ड म.प्र.
  <u>........... प्रतिवादीगण</u>
- म.प्र. शासन द्वारा :- श्रीमान् कलेक्टर महोदय जिला भिण्ड म.प्र.

..... तरतीवी प्रतिवादी

(वादी द्वारा अधि. श्री गिर्राज भटेले) (प्रतिवादी क0 1 एवं 2 द्वारा अधि0 श्री विजय श्रीवास्तव) (प्रतिवादी कमांक 3 पूर्व से एकपक्षीय)

# <u>::- नि र्ण य --::</u> (आज दिनांक 25.04.17 को घोषित)

वादी द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध मौजा लालन का पुरा परगना, गोहद में स्थित कृषि भूमि सर्वे क. 43 रकवा 0.04 एवं सर्वे क. 55 रकवा 0.01 कुल रकवा 0.05 हेक्टेयर की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादी के विरुद्ध वादग्रस्त भूमि सर्वे क. 43 रकवा 0.04 एवं सर्वे क. 55 रकवा 0.01 की स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में वादपत्र इस प्रकार है कि मौजा लालन का पुरा परगना गोहद में भूमि सर्वे क. 43 रकवा 0.04 एवं सर्वे क. 55 रकवा 0.01 कुल रकवा 0.05 हेक्टेयर स्थित है, जिसका वादी रिकॉर्डेड भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादी की निरंतर निर्विघ्न खेती हो रही है। वादग्रस्त भूमि वादी को अपने पिता बहादुर सिंह की मृत्यु उपरांत उत्तराधिकार में तथा सभी भाइयों से बंटवारे में प्राप्त हुई थी। वादग्रस्त भूमि पर वादी के पिता जीवन पर्यन्त काबिज होकर खेती करते रहे हैं एवं पिता की मृत्यु उपरांत वादी काबिज होकर खेती कर रहा है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं रहा है। प्रतिवादीगण आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। वादी जब वादग्रस्त भूमि पर जाता है तो प्रतिवादीगण झगड़ा करने पर आमादा हो जाते हैं एवं वादी को वादग्रस्त भूमि पर खेती करने में अवैधानिक रूप से बाधा उत्पन्न करते हैं। दिनांक 25/02/15 को जब वादी वादग्रस्त भूमि

पर खड़ी सरसों की फसल काट रहा था तो प्रतिवादीगण ने वादी को फसल काटने से रोका था एवं वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी थी। अतः वाद प्रस्तुत कर वादी का निवेदन है कि वादी के हित में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर वादी के आधिपत्य में बाधा उत्पन्न न करें तथा वादी को वादग्रस्त भूमि से जबरन बेदखल न करें।

- प्रतिवादी क. 1 एवं 2 द्वारा वादपत्र का खण्डन करते हुए उत्तर वादपत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि वादी वादग्रस्त भूमि के भूमि स्वामी नहीं हैं वादी का राजस्व अभिलेखों में गलत क्तप से इंद्राज है। उक्त भूमि पर प्रतिवादी क. 1 काबिज होकर खेती कर रहा है। क्योंकि यह जमीन जमींदारी काल में प्रतिवादी क. 1 की जमींदारी की भूमि थी। प्रतिवादी क. 1 एवं 2 के पूर्वज जमींदार थे तभी से प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि पर हरिकस्मी कब्जा बर्ताव है। वादी ने वादग्रस्त भूमि पर कभी खेती नहीं की है। विवादित भूमि पर वादी के पिता बहादुर सिंह ने भी कभी खेती नहीं की है और न ही उनका कोई कब्जा रहा है। वादी ने गोपनीय तौर पर राजस्व अधिकारियों से मिलकर गलत बंटवारा करा लिया है जो प्रतिवादी क. 1 के मुकाबले व्यर्थ होकर शून्य है। प्रतिवादी क. 1 व 2 के मध्य माह अषाण सन् 2002 में घरू बंटवारा हो गया था तभी से प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर खेती कर रहे हैं। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क. 1 व 2 के पूर्वज विजय सिंह एवं महाराज सिंह के कब्जे बर्ताव की थी। वादी के पूर्वज तेजसिंह, बहादुर सिंह एवं देवी सिंह का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं था। वादग्रस्त जमीन उस समय कदीम एवं बीहड की जमीन थी। जब इस गांव का मौजा बकनासा था तब यह बकनासा की भूमि सर्वे क. 196 थी जिसका नवीन नंबर 385 था। जब मौजा लालन का पूरा बना था तो सर्वे क. 43 रकवा 0.04 एवं सर्वे क. 55 रकवा 0.01 का निर्माण हुआ था, लेकिन उक्त भूमि पर प्रतिवादी क. 1 व 2 के पूर्वजों का कब्जा बर्ताव था। वादीगण ने गलत रूप से राजस्व अभिलेख में अपना इंद्राज करा लिया था। वादी एवं उसके पूर्वजों का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं रहा है। उक्त भूमि पर दिनांक 30/06/13 को वादी एवं उसके अन्य भाई के साथ प्रतिवादीगण का झगडा हुआ था, जिसकी रिपोर्ट थाना एण्डोरी में की गयी थी तब राजस्व अभिलेख की नकल लेने पर प्रतिवादीगण को फर्जी इंद्राज की जानकारी ह्यी थी प्रतिवादीगण ने एस.डी.ओ. के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी जो कि एस.डी.ओ. महोदय ने गलत एवं अवैधानिक रूप से निरस्त 🕻 कर दी थी। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क. 1 का कब्जा है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण की जमींदारी की भूमि थी एवं उनके पूर्वजों का कब्जा था तथा वर्तमान में प्रतिवादी कें. 1 का कब्जा है। वादी का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है। वादी की जानकारी में वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क. 1 का कब्जा है अतः विरोधी आधिपत्य के आधार पर प्रतिवादी क. 1 को भिम स्वामी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। वादी का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। पुलिस ने भी कब्जे की जांच के दौरान वादग्रस्त भूमि पर हमेशा से प्रतिवादी क. 1 का कब्जा पाया था। वादी द्वारा गलत इंद्राज के आधार दावा प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है।
- 4. प्रतिवादी क. 1 एवं 2 द्वारा प्रकरण में प्रतिदावा प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया। है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क. 43 रकवा 0.04 एवं सर्वे क. 55 रकवा 0.01 ग्राम लालन का पुरा में स्थित है। उक्त भूमि पर हमेशा से प्रतिवादी क. 1 एवं 2 का कब्जा रहा है जिसकी जानकारी वादी को थी। प्रतिवादी क. 1 व 2 को विरोधी आधिपत्य के आधार पर वादग्रस्त भूमि में भूमि स्वामी स्वत्व उत्पन्न हो चुके हैं। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क. 1 व 2 के पूर्वज विजय सिंह एवं महाराज सिंह के कब्जे बर्ताव की थी। वादी के पूर्वज तेजसिंह, बहादुरसिंह एवं देवी सिंह का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं रहा है। वादग्रस्त भूमि कदीम बीहड़ की भूमि थी। जब मौका बकनासा बना था तब वादग्रस्त भूमि का सर्वे क. 1 व 2 का जब तावन सर्वे क. 384 रकवा 0.23 था जब लालन का पुरा मौजा बना था तब सर्वे क. 43 रकवा 0.04 एवं सर्वे क. 55 रकवा 0.01 का निर्माण हुआ था, लेकिन उक्त भूमि पर प्रतिवादी क. 1 व 2 का कब्जा बर्ताव था। वादी के पूर्वजों ने गलत रूप से वादग्रस्त भूमि पर अपने नाम का इंद्राज

करा लिया था। वादी एवं उसके पूर्वजों ने वादग्रस्त भूमि पर कभी कोई खेती नहीं की है। दिनांक 30 / 06 / 13 को वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य फसल को लेकर झगड़ा हुआ था जिसकी रिपोर्ट थाना एण्डोरी में की गयी थी तब राजस्व अभिलेख की नकल लेने पर प्रतिवादीगण को फर्जी इंद्राज की जानकारी ह्यी थी। प्रतिवादीगण ने उक्त इंद्राज के विरुद्ध एस.डी.ओ. महोदय गोहद के न्यायालय में अपील प्रस्तृत की थी लेकिन एस.डी.ओ. महोदय ने दिनांक 06/08/14 को अवैधानिक रूप से अपील निरस्त कर दी थी। प्रतिवादी कृ. 1 व 2 के पूर्वज जमींदार थे एवं वादग्रस्त भूमि उनकी जमींदारी की भूमि थी। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क. 1 व 2 के पूर्वजों का कब्जा था और उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी क. 1 व 2 का कब्जा बर्ताव है। वादी का वादग्रस्त भूमि पर कभी–भी कब्जा नहीं रहा है। विवादित भूमि का कब्जा प्राप्त करने के लिए वादी एवं उनके पूर्वजों ने कोई कार्यवाही नहीं की थी। वादी की जानकारी में वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क. 1 व 2 का कब्जा है अतः विरोधी आधिपत्य के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण को भूमि स्वामी स्वत्व प्राप्त हो चुके हैं। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क. 1 व 2 के परिवार की समाधि बनी ह्यी है एवं सड़क निकल गयी है। वादी का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। पुलिस ने भी कब्जे की जांच के दौरान विवादित भूमि पर प्रतिवादी क. 1 व 2 का कब्जा पाया था। वादी द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है अतः प्रतिदावा प्रस्तुत कर प्रतिवादी का निवेदन है कि प्रतिवादी को विरोधी आधिपत्य के आधार पर वादग्रस्त भूमि का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी घोषित किया जावे तथा वादी के विरुद्ध यह स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह प्रतिवादी क. 1 व 2 के कब्जे में बाधा उत्पन्न न करे।

- 5. वादी द्वारा प्रतिदावे का खण्डन करते हुए जवाब प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क. 1 व 2 का कभी—भी कब्जा नहीं रहा है। प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि के स्वत्व व आधिपत्यधारी नहीं हैं। विवादित भूमि प्रतिवादी के पूर्वज विजय सिंह एवं महाराज सिंह के कब्जे बर्ताव की भूमि नहीं रही है। वादग्रस्त भूमि वादी को अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त हुयी है। वादग्रस्त भूमि पर पूर्व में वादी के पिता का कब्जा था एवं वर्तमान में वादी का कब्जा बर्ताव है। वादी के पूर्वजों ने वादग्रस्त भूमि पर गलत इंद्राज नहीं कराया था, बल्कि विधिअनुसार राजस्व अभिलेख में इंद्राज कराया था। वादग्रस्त भूमि पर पहले वादी के पूर्वज खेती करते थे वर्तमान में वादी की खेती हो रही है। दिनांक 30/06/13 को वादी एवं प्रतिवादी के मध्य कोई झगड़ा नहीं हुआ था। प्रतिवादीगण के पूर्वज जमींदार नहीं थे एवं वादग्रस्त भूमि उनकी जमींदारी की भूमि नहीं थी। वादग्रस्त भूमि पर कभी भी प्रतिवादी के पूर्वजों का कब्जा नहीं रहा है न ही प्रतिवादी का कब्जा है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य है प्रतिवादी द्वारा शासन को पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा असत्य आधारों पर प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है।
- 6. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में प्रतिवादी क. 3 के तामील उपरांत उपस्थित न होने से प्रतिवादी क.3 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है।
- 7. उपरोक्त अभिवचनों के अवलोकन से मेरे द्वारा निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित किये गये है जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष अंकित है।

वाद प्रश्न

निष्कर्ष

- क्या वादी मौजा लालन का पुरा परगना गोहद में स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 43 रकवा 0.04 एवं सर्वे क. 55 रकवा 0.01 कुल रकवा 0.05 का एक मात्र आधिपत्यधारी है?
- 2. क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वादी के आधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप किया जा रहा है?

- 3. क्या वादी स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है?
- 4. क्या प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि पर खुल रूप से लगातार 12 वर्ष से अधिक समय से अबाध वादी की जानकारी में और उसके स्वत्वों के नकारते हुए आधिपत्य चला आ रहा है?
- 5. क्या प्रतिवादीगण को विरोधी आधिपत्य के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर भूमि स्वामी स्वत्व प्राप्त हो चुके हैं?
- 6. क्या वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण के आधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप किया जा रहा है?
- 7. क्या प्रस्तुत प्रतिदावा प्रचलन योग्य है?
- सहायता एवं व्यय?

# निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण वाद प्रश्न कमांक—1,4 एवं 5

- 8. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त सभी वादप्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 9. उक्त वादप्रश्नों के संबंध में वादी उदय सिंह वा0सा01 ने अपने वाद पत्र एवं शपथ पत्र में यह अभिवचित्त किया है कि वह मौजा लालन का पुरा परगना गोहद में स्थित कृषिभूमि सर्वे क0 43 रकवा 0.04 एवं सर्वे क. 55 रकवा 0.01 का स्वत्व एवं अधिपत्यधारी है। उक्त भूमि वादी को वर्ष 2012 में उसके पिता बहादुर सिंह की मृत्यु उपरांत उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी एवं सभी भाईयों से बटवारे में प्राप्त हुई थी प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादीगण वादी को वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने की धमकी देते हैं। वादग्रस्त भूमि पर कभी भी प्रतिवादीगण अथवा उनके पूर्वजों का कब्जा नहीं रहा है। वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर उसके पिता के समय से उसकी खेती हो रही है। वह वादग्रस्त भूमि का रिकॉडेड स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है। वादी द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में मौजा बकनासा के संवत् 2013 लगायत 2017 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी03 संवत् 2026 लगायत 2030 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी04 संवत् 2053 लगायत 2057 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी06 संवत् 2063 लगायत 2067 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी07 भू—अधिकार ऋण पुस्तिका प्र0पी08 एवं खसरा संवत् 2070 लगायत 2071 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी9 भी प्रकरण में प्रस्तुत की गई है।
- 10. प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 7 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसे यह याद नहीं है कि सर्वे क043 का रकवा 4 बिस्वा है। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि का पूर्व में सर्वे क0  $\frac{167/1}{1}$  था। उसे यह भी स्वीकार किया है कि बंदोबस्त के पश्चात् सर्वे क0  $\frac{167/1}{1}$  का नवीन सर्वे क0 384 रकवा 0.23 बना था।
- 11. वादी साक्षी रविन्द्र सिंह वा०सा०२ ने भी वादी के अभिवचनों के समर्थन में साक्ष्य दी है।
- 12. प्रतिवादी राजेश प्र0सा01 द्वारा वादी के अभिवचनों का खंडन करते हुए व्यक्त किया गया है कि वादी ने उसके व उसके भाई महेश सिंह के विरूद्ध असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त भूमि पर वादी एवं उनके पूर्वजों ने कभी खेती नहीं की है न ही उनका कब्जा बर्ताव रहा है। वादी ने गलत रूप से राजस्व अभिलेख में इंद्राज कराया है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में प्रतिदावा पेश किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण के पूर्वज काबिज होकर खेती करते थे। उसके बाद से प्रतिवादीगण काबिज होकर खेती कर रहे हैं। प्रतिवादीगण वादी की जानकारी में वादग्रस्त भूमि पर

काबिज हैं। अतः विरोधी आधिपत्य के आधार पर प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि पर भूमि—स्वामी स्वत्व उद्भूत हो चुके हैं। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वज विजय सिंह एवं महाराज सिंह के कब्जे बर्ताव की भूमि थी वादी के पूर्वज तेजिसंह, बहादुरसिंह एवं देवीसिंह का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं था। विवादित भूमि कदीम बेहड़ की भूमि थी, जिसका पूर्व में सर्वे क0 167/1 था नवीन सर्वे क0 384 रकवा 0.23 था जब मौजा लालन का पुरा बना था तो सर्वे क0 43 रकवा 0.04 एवं सर्वे क. 55 रकवा 0.01 का निर्माण हुआ था। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा था लेकिन वादीगण के पूर्वजों ने गलत आधारों पर राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त भूमि पर अपने नाम का इंद्राज करा लिया था। लेकिन वादीगण ने कभी भी वादग्रस्त भूमि पर खेती नहीं की है। जमींदारी काल से ही प्रतिवादीगण के पूर्वज वादग्रस्त भूमि पर खेती कर रहे थे एवं उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर खेती कर रहे है। प्रतिवादीगण ने अपने अभिवचनों के समर्थन में अनुविभागीय दंण्डाधिकारी गोहद के समक्ष धारा 145 दंणप्रठसंठ के अंतर्गत की गई कार्यवाही के दस्तावेज प्रठडी01 लगायत 10 एवं संवत् 2013 लगायत 2017 के खसरे की प्रठडी011 संवत् 2010 लगायत 2013 के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्रठडी012 संवत् 2009 के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्रठडी013 संवत् 2008 के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्रठडी015 भी प्रकरण में प्रस्तुत की गई हैं।

- 13. प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 6 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि रामनरेश इस प्रकरण में पक्षकार नहीं है। पद क्रमांक 8 में उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्र0डी0 11 लगायत प्र0डी015 के खसरे में वादग्रस्त भूमि पर उसके अथवा उसके पूर्वजों का नाम भूमि स्वामी एवं कब्जाधारी के रूप में अंकित नहीं है एवं यह भी स्वीकार किया है कि प्र0डी011 लगायत प्र0डी015 के खसरे में वादीगण के पूर्वजों के नाम का इंद्राज पक्के कृषक की हैसियत से सन् 1960 से वादग्रस्त भूमि पर है। पद क्रमांक 9 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि के कब्जाधारी के रूप में राजस्व कागजादों में उसके अथवा उसके पूर्वजों के नाम का कहीं कोई इंद्राज नहीं है। पद क्रमांक 10 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के पूर्वजों के नाम सन् 1960 में हो गई थी उक्त आदेश के विरुद्ध उसने वर्ष 2013 में एसडीओ गोहद के समक्ष अपील की थी जो कि खारिज हो गई थी। पद क्रमांक 11 में उक्त साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि उसने वादग्रस्त भूमि के संबंध में कही कोई लगान जमा नहीं किया है।
- 14. प्रतिवादी साक्षी विशम्भर सिंह प्र0सा02 सत्येन्द्र सिंह प्र0सा03 एवं रवि सिंह प्र0सा04 ने भी प्रतिवादी राजेश प्र0सा01 के अभिवचनों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत की है।
- 15. तर्क के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया हैकि प्रकरण में आई साक्ष्य से वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य प्रमाणित है जबिक प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का आधिपत्य है एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से काबिज है।
- 16. प्रस्तुत प्रकरण में वादी उदयसिंह वा०सा०1 द्वारा यह अभिवचिनत किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर उसका स्वत्व व आधिपत्य है। वादग्रस्त भूमि उसे अपने पिता बहादुर सिंह की मृत्यु उपरांत बंटवारे में प्राप्त हुई थी। वादग्रस्त भूमि पर पूर्व में उसके पूर्वज खेती करते थे एवं वर्तमान में वह खेती कर रहा है। यद्यपि वादी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि उसे सर्वे क0 43 का रकवा याद नहीं है परंतु यह भी उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में वादग्रस्त भूमि के दस्तावेज प्र0पी03 लगायत प्र0पी09 प्रकरण में प्रस्तुत किए गए हैं। वादी वृद्ध व्यक्ति है ऐसी स्थिति में उसे विवादित भूमि के रकवे की जानकारी न होना स्वाभाविक है। अतः मात्र उक्त विसंगति के कारण वादी के अभिवचनों का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। वादी साक्षी

रविन्द्र सिंह वा0सा02 द्वारा भी वादी के अभिवचनों का समर्थन किया गया है एवं वादग्रस्त भूमि पर वादी का स्वत्व व आधिपत्य होना बताया गया है। उक्त दोनों की साक्षियों का प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त परीक्षण किया गया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान वादी उदयसिंह वा0सा01 एवं साक्षी रविन्द्र सिंह वा0सा02 के कथनों में कोई तात्विक विसंगति नहीं आई है।

- जहां तक वादी द्वारा प्रस्तुत की गई दस्तावेजी साक्ष्य का प्रश्न है तो वादी ने वादग्रस्त भूमि पर अपने पूर्वज तेजिसंह, बहादुरसिंह, देवीसिंह के समय से आधिपत्य होना बताया है एवं यह भी व्यक्त किया है कि उसके पिता बहादुर सिंह की मृत्यु उपरांत वादग्रस्त भूमि उत्तराधिकार में प्राप्त होने के पश्चात् उसे बटवारे में प्राप्त हुई है। वादी द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में जो प्र0पी08 की भू अधिकार ऋण पुस्तिका एवं प्र0पी03, प्र0पी04, प्र0पी05, प्र0पी06, प्र0पी07 एवं प्र0पी09 के खसरे प्रस्तुत किए गए है। उनके अवलोकन से यह दर्शित है कि संवत् 2013 लगायत 2017 के खसरे प्र0पी03 में सर्वे क0 167 पर वादी के पूर्वज देवीसिंह एवं तेजसिंह का नाम पक्का कृषक के रूप में अंकित है। संवत् 2026 लगायत 2030 के खसरे प्र0प्री04 में 167/1 पर वादी के पूर्वज तेजसिंह का नाम भूमि स्वामी एवं कब्जाधारी के रूप में अंकित है। संवत् 2053 लगायत 2057 के खसरे प्र0पी05 में सर्वे क0 374 में वादी के पूर्वज बहादूर सिंह का नाम खसरे के कॉलम नं0 3 में अंकित है। संवत 2058 लगायत 2062 के खसरे प्र0पी06 एवं संवत् 2063 लगायत 2067 क खसरे प्र0पी07 में सर्वे क0 374 एवं 385 में वादी के पिता बहादूर सिंह का नाम खसरे के कॉलम नं0 3 में कब्जेदार के रूप में अंकित है। वादीद्वारा जो संवत् २०७० एवं २०७१ का खसरा प्र०पी९ प्रकरण में पेश किया गया है उसमें वादग्रस्त भूमि सर्वे क० 43 रकवा 0.04 एवं सर्वे क. 55 रकवा 0.01 पर वादी का नाम खसरे के कॉलम नं0 3 में कब्जाधारी के रूप में अंकित है। भू अधिकार ऋण पुस्तिका प्र0पी08 में भी वादी का नाम वादग्रस्त भूमि पर भूमि स्वामी के रूप में अंकित है।
- 18. यद्यपि वादी द्वारा अपने वादपत्र एवं शपथ पत्र में यह अभिवचन नहीं किया गया है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क043 एवं 55 का पूर्व सर्वे क0 167, 374 एवं 385 था परन्तु प्रतिवादी राजेश प्र0सा01 द्वारा स्वयं यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क0 43 एवं 55 के पूर्व सर्वे क0 167 एवं 385 थे तथा वादी द्वारा जो प्र0पी03 लगायत 7 के खसरे प्रकरण में प्रस्तुत किए गए हैं उनमें वादग्रस्त भूमि पर वादी के पूर्वज देवीसिह एवं बहादुर सिंह का नाम वादग्रस्त भूमि पर अंकित है तथा वादी द्वारा जो प्र0पी09 का खसरा एवं प्र0पी08 की भू अधिकार ऋण पुस्तिका प्रकरण में प्रस्तुत की गई है उसने वादग्रस्त भूमि पर वादी का नाम स्वत्व एवं आधिपत्यधारी के रूप में अंकित है।
- 19. प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि उनके पूर्वज विजयसिह एवं महाराजिसंह के कब्जे बर्ताव की भूमि थी। प्रतिवादीगण के पूर्वज जमींदार थे एवं वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वज विजय सिंह एवं महाराज सिंह की जमींदारी की भूमि थी परन्तु प्रतिवादीगणद्वारा उक्त संबंध में कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किए गए है। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वज विजय सिंह एवं महाराज सिंह के जमींदारी की भूमि थी एवं वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण के पूर्वजों का आधिपत्य था। इसके विपरीत प्रतिवादीगण द्वारा जो प्रठडीठ 11 लगायत 15 के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपियां प्रकरण में प्रस्तुत की गई हैं उसमें भी वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के पूर्वजों का नाम अंकित है। प्रतिवादी राजेश प्रठसाठा द्वारा स्वयं प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया गया है कि प्रठडीठ11 लगायत प्रठडीठ15 के खसरे में वादीगण के पूर्वजों के नाम का इंद्राज वर्ष 1960 से पक्के कृषक की हैसियत से वादग्रस्त भूमि पर है एवं यह भी स्वीकार किया गया है कि उसके एवं उसके पूर्वजों के नाम का इंद्राज राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त भूमि पर नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादी राजेश प्रठसाठा द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि वर्ष 1960 से वादग्रस्त भूमि पर वादीगण एवं उनके पूर्वजों का नाम वादग्रस्त भूमि पर अंकित है तथा यह भी स्वीकार किया गया है कि उसके एवं उसके पूर्वजों का नाम वादग्रस्त भूमि पर अंकित है तथा यह भी स्वीकार किया गया है कि उसके एवं उसके

पूर्वजों का नाम वादग्रस्त भूमि पर राजस्व अभिलेखों में अंकित नहीं है।

- प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर पूर्वजों के समय से उनका आधिपत्य होना बताया है परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज खसरा खतौनी इत्यादि प्रकरण में प्रस्तृत नहीं किया गया है जिससे वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण अथवा उनके पूर्वजों का आधिपत्य होना दर्शित हो। प्रतिवादीगण द्वारा यह भी अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर उनका पूर्वजों के समय से आधिपत्य वादी की जानकारी में चला आ रहा है। अतः वादग्रस्त भूमि पर विरोधी आधिपत्य के आधार पर उन्हें स्वत्व प्राप्त हो चुका है परन्त् प्रतिवादीगण का यह अभिवचन भी स्वीकार योग्य नहीं है। विरोधी आधिपत्य को प्रमाणित होने के लिए यह आवश्यक है कि "एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के स्वामित्व की संपत्ति पर उस दूसरे व्यक्ति की जानकारी में उसके स्वत्वों को नकारते हुए अबाध, शांतिपूर्ण 12 वर्ष से अधिक समय तक लगातार आधिपत्य में रहा हो।" तब उस व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि उसने उस संपत्ति में विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व परिपक्व कर लिए है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण ने विरोधी आधिपत्य के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व व आधिपत्य होना बताया है परन्तू प्रतिवादी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वह किस तारीख को वादग्रस्त भृमि पर आधिपत्य में आया था। उसके आधिपत्य की प्रकृति क्या थी एवं किस तारीख से उसका आधिपत्य विरोधी आधिपत्य की श्रेणी में आ गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपना स्वत्व व आधिपत्य होना तो बताया है परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपना आधिपत्य होने के संबंध में कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- 21. प्रतिवादीगण द्वारा तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बादग्रस्त भूमि पर कब्जे के संबंध में दं0प्र0सं0 की धारा 145 के अंतर्गत अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोहद के समक्ष कार्यवाही चली थी एवं उक्त कार्यवाही में प्र0डी02 की रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा होना पाया गया था। प्रतिवादीगण द्वारा प्र0डी02 की रिपोर्ट भी प्रकरण में पेश की गई है। यद्यपि प्र0डी02 की रिपोर्ट में भूमि सर्वे क0 374, 384 एवं 385 पर प्रतिवादीगण का कब्जा होने का उल्लेख है परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि प्र0डी02 का प्रतिवेदन पुलिस थाना एण्डोरी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोहद को प्रस्तुत किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दं0प्र0सं0 की धारा 145 की कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की होती है एवं मात्र उक्त कार्यवाही के आधार पर व्यवहार वाद में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपना आधिपत्य होने के संबंध में अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य, खसरा, खतौनी इत्यादि प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं ऐसी रिथति में मात्र प्र0डी02 के जांच प्रतिवेदन से यह नहीं माना जा सकता है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का आधिपत्य है एवं मात्र प्र0डी02 के जांच प्रतिवेदन से प्रतिवादीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 22. प्रतिवादी राजेश प्र0सा01 ने विरोधी आधिपत्य के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर अपना स्वत्व होना बताया है परंतु प्रतिवादी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसका विरोधी आधिपत्य वादग्रस्त भूमि पर कब से प्रारंभ हुआ था। प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज खसरा खतौनी इत्यादि प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिससे वादग्रस्त भूमि पर विगत 12 वर्षों से वादी की जानकारी में वादी के स्वत्वों को नकारते हुए प्रतिवादीगण का आधिपत्य दर्शित हो। यदि वास्तव में वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का आधिपत्य होता तो वह निश्चित रूप से वादग्रस्त भूमि का राजस्व अदा करते। प्रतिवादी राजेश प्र0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान स्वयं यह स्वीकार कियाहै कि उसने वादग्रस्त भूमि के संबंध में कभी कोई लगान अदा नहीं कियाहै। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का आधिपत्य होना दर्शित नहीं है।

- 23. जहां तक प्रतिवादी साक्षी विशम्भर सिंह प्र०सा02 सत्येन्द्र सिंह प्र०सा03 एवं रिविसंह प्र०सा04 के कथनों का प्रश्न है। यद्यपि उक्त साक्षीगण ने अपने शपथपत्र में वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का आधिपत्य होना बताया है परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि जो तथ्य दस्तावेज से साबित हो सकते हैं उन्हें दस्तावेजों के माध्यम से ही साबित करना चाहिए। प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर पूर्वजों के समय से आधिपत्य होना बताया है परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज खसरा खतौनी इत्यादि प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिससे वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण अथवा उनके पूर्वजों का अधिपत्य होना दर्शित हो प्रतिवादीगण द्वारा विरोधी आधिपत्य के तत्वों को भी प्रमाणित नहीं कियागया है इसके विपरीत वादीगण द्वारा जो प्र०पी03 लगायत 9 के खसरे एवं भू अधिकार ऋण पुस्तिका प्रकरण में प्रस्तुत की गई है उनसे वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य होना दर्शित है। प्रतिवादीगण द्वारा प्र०पी03 लगायत 9 के खसरे एवं भू अधिकार ऋण पुस्तिका के खंडन में कोई साक्ष्य कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्र०पी03 लगायत 9 के दस्तावेज भू अभिलेख हैं प्रतिवादीगण द्वारा उक्त अभिलेखों के खंडन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थित में म०प्र० भू राजस्व संहिता की धारा 117 के अंतर्गत उक्त दस्तावेजों के सही होने की उपधारणा की जाएगी एवं प्र०पी03 लगायत 9 के दस्तावेजों से वादग्रस्त भूमि का वादी का आधिपत्य होना प्रमाणित है।
- 24. उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से यह दर्शित है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिससे यह दर्शित होता हो कि वादग्रस्त भूमि पर 12 वर्षों से अधिक समय से प्रतिवादीगण का आधिपत्य है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर विरोधी आधिपत्य प्रमाणित करने में असफल रहे है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आई साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का वादी की जानकारी में 12 वर्ष से अधिक समय से आधिपत्य है एवं यह भी प्रमाणित नहीं है कि प्रतिवादीगण को विरोधी आधिपत्य के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर भूमि स्वामी स्वत्व प्राप्त हो चुके हैं। फलतः वादप्रश्न क0 4 एवं 5 प्रतिवादीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं हैं।
- 25. समग्र अवलोकन से वादी यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि वह मौजा लालन पुरा परगना गोहद में स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क0 43 रकवा 0.04 एवं सर्वे क. 55 रकवा 0.01 कुल रकवा 0.05 का एक मात्र आधिपत्यधारी है। फलतः वादप्रश्न क0 1 वादी के पक्ष में प्रमाणित है।

### वाद प्रश्न कमांक-2 एवं 3

26. उक्त वादप्रश्नों का निष्कर्ष वादप्रश्न क01 के निष्कर्ष पर आधारित है। वादप्रश्न क01 के निष्कर्ष अनुसार वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य प्रमाणित है। वादी उदय सिंह वाठसा01 द्वारा यह भी अभिवचनित कियागया है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने के लिए प्रयासरत है। प्रतिवादी राजेश प्र0सा01 ने वादग्रस्त भूमि पर अपना आधिपत्य होना बताया है परंतु प्रतिवादी द्वारा जो प्र0डी011 लगायत 15 के खसरे प्रकरण में पेश किए गए हैं उनमें भी वादग्रस्त भूमि पर वादी के पूर्वजों का नाम अंकित है। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का आधिपत्य होना दर्शित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आई साक्ष्य से एवं प्रतिवादी राजेश प्र0सा01 के कथनों से यही दर्शित होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वादी के आधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप किया जा रहा है। अतः वादी स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है। फलतः उक्त वादप्रश्न भी वादी के पक्ष में प्रमाणित है।

#### वाद प्रश्न कमांक-6

27. उक्त वादप्रश्न का निष्कर्ष वादप्रश्न क0 4 एवं 5 के निष्कर्ष पर आधारित है। वादप्रश्न क0 4 एवं 5 के निश्कर्ष अनुसार वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का आधिपत्य होना प्रमाणित नहीं है ऐसी स्थिति में यह भी नहीं माना जा सकता कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण के आधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप किया जा रहा है। फलतः उक्त वादप्रश्न भी प्रतिवादीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

## वाद प्रश्न कमांक-7

- 28. उक्त वादप्रश्न के संबंध में वादी द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध मात्र स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया है जब कि प्रतिवादी द्वारा स्वत्वघोषण एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी ने प्रतिदावे में विवादित भूमि के स्वत्व की घोषणा चाही है तथा प्रतिवादी ने शासन को व्य०प्र०सं० की धारा 80 का सूचनापत्र नहीं दिया है एवं शासन को पक्षकार नहीं बनाया है ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रतिदावा प्रचलन योग्य नहीं है जब कि प्रतिवादी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रतिदावा विधि अनुसार प्रचलन योग्य है।
- 29 प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादग्रस्त कृषि भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे के विरुद्ध वादग्रस्त भूमि पर अपने स्वत्व व आधिपत्य का अभिवचन करते हुए प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण ने वादी द्वारा किए गए दावे के विरुद्ध व्य0प्र0सं0 के आदेश 8 नियम 6 (क) के अंतर्गत प्रतिदावा प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में मध्यप्रदेश शासन को पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं था। प्रतिवादीगण द्वारा विधि अनुसार प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया है एवं उक्त प्रतिदावा प्रचलन योग्य है। फलतः उक्त वादप्रश्न का निराकरण उसके निष्कर्ष अनुसार किया गया।

#### सहायता और व्यय

- 30 समग्र अवलोकन से प्रतिवादीगण प्रतिदावा प्रमाणित करने में असफल रहे है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा निरस्त किया जाता है।
- 31 समग्र अवलोकन से वादी वादग्रस्त भूमि पर अपना आधिपत्य प्रमाणित करने में सफल रहा है अतः प्रस्तुत वाद वादी के पक्ष में निम्नानुसार जयपत्रित किया जाता है:—
- 1. प्रतिवादीगण को स्थायी रूप से निषेधित किया जाता है कि वह मौजा लालनपुरा परगना गोहद में स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क0 43 रकवा 0.04 एवं सर्वे क. 55 रकवा 0.01 कुल रकवा 0.05 हेक्टेयर पर वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप न तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से कराए।
  - 2. प्रकरण का संपूर्ण वाद व्यय प्रतिवादीगण द्वारा वहन किया जाएगा।

3. अधिवकता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी न्यून हो देय होगा।

तदानुसार जयपत्र निर्मित किया जावे।

स्थान — गोहद दिनांक — 25/04/17

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

ATTACON PROPERTY PROP

(प्रतिष्ठा अवस्थी) अति0व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 (प्रतिष्ठा अवस्थी) अति0व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0